भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2770
उत्तर देने की तारीख-12/08/2026

विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की उपलब्धता

2770 **श्री राजिन्दर गुप्ता:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि यूडीआईएसई+ 2024-25 के अनुसार, केवल 1.12 लाख विद्यालयों में ही एक समर्पित विशेष शिक्षक उपलब्ध है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में विद्यालय इससे वंचित हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) का नामांकन करने वाले विद्यालयों की कुल संख्या, कम-से-कम एक समर्पित विशेष शिक्षक वाले विद्यालयों की संख्या कितनी है तथा विशेष शिक्षकों के स्वीकृत, भरे गए तथा रिक्त पदों का राज्य-वार/संघराज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार भर्ती में राज्यों को सहयोग प्रदान करके तथा भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई)-मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण क्षमता का विस्तार करके विशेष शिक्षकों की उपलब्धता को सुदृढ़ करने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और अधिकांश विद्यालय संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग पूर्व-प्राथमिक से बारहवीं कक्षा तक समान और समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने हेतु केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा का कार्यान्वयन कर रहा है।

समग्र शिक्षा रूपरेखा के अंतर्गत विशेष शिक्षकों सहित शिक्षकों से संबंधित भर्ती और अन्य सेवा संबंधित मामले राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। इस रूपरेखा में आवश्यकता के अनुसार ब्लॉक या क्लस्टर स्तर पर विशेष शिक्षकों को तैनात करने और स्कूलों के एक समूह को शामिल करते हुए जहां विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (सीडब्ल्यूएसएन) नामांकित हैं, एक परिवर्तनशील मोड में कार्य करने का भी प्रावधान है, ताकि उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सके।

समग्र शिक्षा और पीएम श्री (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) के तहत, स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें उपयुक्त

छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखना और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। इसमें प्रत्येक ब्लॉक संसाधन केन्द्र (बीआरसी) में सीडब्ल्यूएसएन के लिए दो संसाधन व्यक्तियों का प्रावधान है।

विभाग ने सीडब्ल्यूएसएन हेतु सामान्य स्कूलों में विशेष शिक्षकों के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) को दिनांक 21.09.2022 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 4586 (ई) के माध्यम से अधिसूचित किया और 29.09.2022 को प्रकाशित किया, जो इस प्रकार है:

(i) प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक 10 सीडब्ल्यूएसएन के लिए एक विशेष शिक्षक; और

(ii) उच्च-प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक 15 सीडब्ल्यूएसएन के लिए एक विशेष शिक्षक।

यूडीआईएसई+ वर्ष 2025-26 के अनुसार, 1.17 लाख स्कूल में एक समर्पित विशेष शिक्षक है। यूडीआईएसई+ वर्ष 2025-26 के अनुसार सीडब्ल्यूएसएन के नामांकन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा और एक समर्पित विशेष शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या का ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

विभाग निरंतर व्यावसायिक विकास, सेवाकालीन प्रशिक्षण और समावेशी शिक्षा पर जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों और विशेष शिक्षकों के क्षमता निर्माण का भी सहायता कर रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने प्राथमिक, माध्यमिक और मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (एफएलएन) चरणों हेतु स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल (निष्ठा) के तहत ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए हैं, जो सामान्य शिक्षकों को सीडब्ल्यूएसएन की विविध अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार करते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने समावेशी कक्षाओं में बच्चों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु समावेशी शिक्षा पर पुस्तिकाएं भी विकसित की हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने सेवा-पूर्व शिक्षक शिक्षा के लिए चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) में सीडब्ल्यूएसएन के लिए समावेशी शिक्षा पर दो समर्पित क्रेडिट को एकीकृत किया है। इसका उद्देश्य संभावित शिक्षकों को नियमित स्कूलों में सीडब्ल्यूएसएन के समावेश और सार्थक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से सुसज्जित करना और सीखने की अक्षमता से जुड़ी विविध सीखने की जरूरतों को पूरा करने हेतु शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं को अनुकूलित करना है।

भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई), भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है जो पुनर्वास पेशेवरों और कर्मियों के प्रशिक्षण को विनियमित और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है, को पुनर्वास पेशेवरों/कर्मियों की 16 श्रेणियों में मानव संसाधन विकसित करने का अधिकार है। आरसीआई ने 1,081 संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को विकलांगता पुनर्वास और विशेष शिक्षा में पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है, जिससे विशेष शिक्षकों सहित योग्य मानव संसाधनों की उपलब्धता में योगदान दिया गया है।

अनुलग्नक

'विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की उपलब्धता' के संबंध में माननीय सांसद सदस्य श्री राजिंदर गुप्ता द्वारा पूछे गए दिनांक 12.08.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2770 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

सीडब्ल्यूएसएन के नामांकन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा और एक समर्पित विशेष शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सभी प्रबंधन के लिए कुल सीडब्ल्यूएसएन नामांकन	समर्पित विशेष शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या
भारत	**2211226**	**116695**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	872	21
आंध्र प्रदेश	92055	7094
अरुणाचल प्रदेश	3174	202
असम	57367	2038
बिहार	179917	10931
चंडीगढ़	3594	89
छत्तीसगढ़	81776	2527
डीएनएच और डीडी	1435	8
दिल्ली	40829	4160
गोवा	4719	133
गुजरात	60010	2161
हरियाणा	22241	1455
हिमाचल प्रदेश	6369	813
जम्मू और कश्मीर	20916	1772
झारखंड	50440	2092
कर्नाटक	83204	10874
केरल	116354	3385
लद्दाख	638	24
लक्षद्वीप	211	9
मध्य प्रदेश	158599	9360
महाराष्ट्र	253792	5058
मणिपुर	4358	440
मेघालय	4140	144
मिजोरम	3999	58
नागालैंड	1852	110
ओडिशा	94031	7040
पुडुचेरी	1159	93
पंजाब	51664	2206
राजस्थान	73241	8166
सिक्किम	1009	63
तमिलनाडु	129452	3833
तेलंगाना	74743	2826

त्रिपुरा	3276	329
उत्तर प्रदेश	372739	23489
उत्तराखंड	5797	1586
पश्चिम बंगाल	151254	2106

यूडीआईएसई+ वर्ष 2025-26 के अनुसार
